

सं.ईडी/एमडी/1025/49/भाग-1

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रतलाम
दिनांक : 10/02/2021**कार्यालय आदेश**

विषय :- मुख्य नर्सिंग अधीक्षक, वे.मा.रु.15600-39100+5400GP (लेवल-10) के रिक्त पदों को भरने बाबत चिकित्सा विभाग रतलाम मंडल।

- संदर्भ :-** 1) रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(NG) I-2008/PM 1/15 दिनांक 03.03.2017, आरबीई सं.20/2017 दिनांक 03.03.2017 एवं मं.रे.प्रं.(स्था.)रतलाम का पीएस सं.17/2017 NO.E/EP/1025/30 दि.10.03.17
2) इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.01.2021

रेलवे बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र में दर्शाए गये नीति निर्देशानुसार चिकित्सा विभाग की मुख्य नर्सिंग अधीक्षक वे.मा.रु.15600-39100+5400 ग्रेडपे (लेवल 10) के 04 अनारक्षित पदों की रिक्तियों को वरीयता एवं निर्धारित बेंचमार्क के अनुसार उपयुक्तता के आधार पर भरे जाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पिछले वर्षों की उपलब्ध गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर बेंचमार्क का निर्धारण किया गया जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित कर्मचारियों को उपयुक्त पाया जाता है एवं नामिका पर रखा जाता है।

क्र.सं.	नाम सर्वश्री	समुदाय	पदनाम	अधीन / स्टेशन	रिमांक
1	संजय जोशी	सामान्य	वरि.नर्सिंग अधीक्षक	मंडल चिकित्सालय रतलाम	सा. बिन्दु पर
2	नागेन्द्र कुमार ज्वाला	अजा	वरि.नर्सिंग अधीक्षक	मंडल चिकित्सालय रतलाम	सा. बिन्दु पर, भविष्य में अजा की होने वाली रिक्ति में समाहित किये जायेंगे।
3	नामोनारायण मीना	अजजा	वरि.नर्सिंग अधीक्षक	मंडल चिकित्सालय रतलाम	सा. बिन्दु पर, भविष्य में अजजा की होने वाली रिक्ति में समाहित किये जायेंगे।
4	हेमेन्द्र कुमार शर्मा	सामान्य	वरि.नर्सिंग अधीक्षक	मंडल चिकित्सालय रतलाम	सा. बिन्दु पर

महाप्रबंधक स्था. चर्चगेट के पत्र सं. E(SCT)/220/0 भाग IX दिनांक 03.10.2016 पी एस सं. 117/2016 के अनुसार यह अन्तिम सिलेक्ट लिस्ट माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल नं.314/2016 और SLP CIVIL NO.4831/2012 के निर्णय अध्ययन होगी। यह सिलेक्ट सूची प्रोविजनल है, आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

तदनुसार संबंधित कर्मचारियों को नोट कराया जाये।
इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(दीपक परमार)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते-वरि.मं.का.अधि.रतलाम

प्रतिलिपि -

मुचिअधी./वरिमंचिअधि./वरिमंकाअधि./मंकाअधि/सहाकाअधि.।।।।। रतलाम
मुकाअ-मं.चिकि.रतलाम, ईडी, सेवा पुस्तिका, गोपनीय, वेतन रतलाम
मंडल मंत्री-वे रे मं.सं./वेरेएयू/एससीएसटी एसो./ओबीसी एसो./रतलाम
उक्त आदेश e-समाधान एप पर उपलब्ध है।